HARYANA SHEHRI VIKAS PRADHIKARAN PUBLIC NOTICE

Online applications, in prescribed application form, are invited from the land owners whose lands were acquired in the past to develop the Sectors in Estates under Panchkula Zone, i.e., Kaithal Mandi Township, Pundri.

The oustees are requested to apply along with application money Rs. 50,000/- for the concerned Sector. The claims of oustees will be decided in terms of policy dated 11.08.2016 and 08.05.2018.

For detailed terms and conditions, terms of payment, policy guidelines and Sector wise & category wise details of the plots are available on the HSVP website i.e. (<u>www.hsvphry.org.in</u>).

The scheme will start w.e.f. 03.12.2024 and close on 03.01.2025 at 5:00 PM.

For any other details, interested persons may contact Estate Officer, HSVP, Kaithal (01746-357201).

Note:- It is hereby clarified that land owners who applied for allotment of plots under oustees category in the advertisement issued by the HSVP previously shall have to apply afresh.

Administrator, HSVP, Panchkula

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सार्वजनिक सूचना

जिन भू–स्वामियों जिनकी भूमि पंचकूला जोन अधीन शहरी संपदा कैथल (केवल मण्डी टाऊनशिप पुण्डरी) में सैक्टरों के विकास हेतु पिछले समय अधिग्रहीत की गई थी, उनसे निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

विस्थापितों से निवेदन है कि संबंधित सैक्टर हेतु रू. 50,000/– की आवेदन राशि सहित आवेदन करें। विस्थापितों के दावों का निर्णय पॉलिसी दिनांक 11.08.2016 एवं 08.05.2018 के संबंध में किया जाएगा।

विस्तृत नियम एवं शर्तों, भुगतान के नियम, पॉलिसी दिशा निर्देश तथा सैक्टर अनुसार एवं प्लाटों का विवरण एवं वर्ग क्षेत्र एच.एस.वी.पी. की वेबसाइट <u>www.hsvphry.org.in</u> पर उपलब्ध है।

स्कीम का प्रारम्भ 03.12.2024 को होगा एवं 03.01.2025 को सांय 5.00 बजे बंद होगा।

किसी अन्य विवरण हेतु सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, कैथल (01746–357201) से सम्पर्क किया जा सकता है।

नोटः– इसके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिन भूमि मालिकों ने पहले एचएसबीपी द्वारा जारी विज्ञापन में विस्थापित श्रेणी के तहत भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन किया था उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा।

> प्रशासक, ह.श.वि.प्रा. पंचकूला